



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,

नई दिल्ली- 110003

दिनांक: 26.07.2019

केस नंबर: KL/13/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

केस नंबर: SG/14/2019/STGUP/ SEFCC/RU-I

सेवा में,

ज़िला अधिकारी,
ज़िला- आजमगढ़,
(उत्तर प्रदेश)

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,
ज़िला- आजमगढ़,
(उत्तर प्रदेश)

विषय: लेखपाल एवं तहसीलदार द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में- आजमगढ़ ज़िले में अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, के अभ्यावेदनों के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, सुश्री अनुसुईया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 16.07.2019 समय 02.30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति (संलग्न) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

यह अनुरोध है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर भेजने का कष्ट करे।

भवदीय,

o/c

21/7/19

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक

दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि:

- (1) श्री कन्हैया लाल गोंड,
अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा,
शाखा- आजमगढ़,
मोहल्ला- एलवल,
आजमगढ़, (उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 9450736221)